वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत/जिला योजना
संख्या :367 /XVII-1/2010-10(61)/2009

प्रेषक,

एस.के. मुट्टू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, दिनांक 04 मई 2010.

विषय :चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–30/31 के आयोजनागत पक्ष की जिला योजनाओं में प्रावधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1391/53–रा.यो.आ./वि.जि.यो./2007–08, दिनांक 27 अप्रैल 2010 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च 2010 तथा के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–30 के आयोजनागत पक्ष की जिला योजनाओं में संलग्नक–1 के अनुसार प्रावधानित रूपये 5,44,48,000 (रूपये पांच करोड़ चवालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष की जिला योजनाओं में संलग्नक–2 के अनुसार प्रावधानित रूपये 27,22,000 (रूपये सत्ताइस लाख बाइस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता के दृष्टिगत नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।
4. धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाए, जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही हैं। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमशः पृष्ठ–02 पर..

5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. उक्तानुसार अवमुक्त धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आहरण–वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी.एम.–17 पर निर्धारित समयान्तर्गत शासन एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
9. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए। बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि तत्काल सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रखना सुनिश्चित किया जाए।
11. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च 2010 तथा नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1391/53–रा.यो.आ./वि.जि.यो./2007–08, दिनांक 27 अप्रैल 2010 में अंकित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथावांछित सूचनाएं निर्धारित समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–30/31" के "आयोजनागत पक्ष" के अन्तर्गत संलग्नक–1/2 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च 2010 तथा नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1391/53–रा.यो.आ./वि.जि.यो./2007–08, दिनांक 27 अप्रैल 2010 के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(एस.के. मुदगल)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

क्रमशः पृष्ठ–03 पर..

पृष्ठांकन संख्या 387 (1)/XVII-1/2010-10(61)/2010, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
8. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सी.एम.एस. बिष्ट)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या-387 /XVII-1/2010-10(61)/2009, दिनांक 04 अप्रैल 2010 का संलग्नक–1 :

1. **अनुदान संख्या–30** **आयोजनागत** **जिला योजना**

लेखाशीर्षक	:	2225–01–277–91–01
मुख्य शीर्षक	:	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक	:	01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक	:	277–शिक्षा
उप शीर्षक	:	91–जिला योजना
ब्यौरेवार शीर्षक	:	01–मैला उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा–1 से 10 तक) के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (50 प्रतिशत के.स.)
मानक मद	:	21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन

(धनराशि हजार रूपये में)

जनपद का नाम	धनराशि
नैनीताल	38
ऊधमसिंह नगर	760
पिथौरागढ़	80
चम्पावत्	70
देहरादून	55
पौड़ी	170
चमोली	16
रूद्रप्रयाग	28
हरिद्वार	563
योग	**1780**

(रूपये सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र)

2. **अनुदान संख्या–30** **आयोजनागत** **जिला योजना**

लेखाशीर्षक	:	2225–01–277–91–03
मुख्य शीर्षक	:	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक	:	01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक	:	277–शिक्षा
उप शीर्षक	:	91–जिला योजना
ब्यौरेवार शीर्षक	:	03–हाईस्कूल तथा इण्टर के अनुसूचित जाति के छात्रों की परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना
मानक मद	:	21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन

(धनराशि हजार रूपये में)

जनपद का नाम	धनराशि
नैनीताल	25
पिथौरागढ़	10
बागेश्वर	50
चम्पावत्	20
देहरादून	25
पौड़ी	10
टिहरी	20
चमोली	1
उत्तरकाशी	15
योग	**176**

(रूपये एक लाख छिहत्तर हजार मात्र)

4. अनुदान संख्या–30 आयोजनागत जिला योजना

लेखाशीर्षक	:	2225–01–277–91–09
मुख्य शीर्षक	:	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक	:	01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक	:	277–शिक्षा
उप शीर्षक	:	91–जिला योजना
ब्यौरेवार शीर्षक	:	09–अनुसूचित जाति राजकीय छात्रावासों का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण
मानक मद	:	29–अनुरक्षण

(धनराशि हजार रूपये में)

जनपद का नाम	धनराशि
नैनीताल	1557
पिथौरागढ़	973
बागेश्वर	292
चम्पावत्	963
देहरादून	329
पौड़ी	389
टिहरी	97
चमोली	195
उत्तरकाशी	146
हरिद्वार	487
योग	**5428**

(रूपये चौवन लाख अट्ठाईस हजार मात्र)

7. **अनुदान संख्या–30** **आयोजनागत** **जिला योजना**

लेखाशीर्षक	:	2225–01–800–91–00
मुख्य शीर्षक	:	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक	:	01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक	:	800–अन्य व्यय
उप शीर्षक	:	91–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)
ब्यौरेवार शीर्षक	:	00–
मानक मद	:	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता

(धनराशि हजार रूपये में)

जनपद का नाम	धनराशि
नैनीताल	3415
ऊधमसिंह नगर	3968
अल्मोड़ा	2926
पिथौरागढ़	2926
बागेश्वर	4877
चम्पावत्	2146
देहरादून	1707
पौड़ी	4877
टिहरी	1951
चमोली	1171
उत्तरकाशी	2765
रूद्रप्रयाग	1463
हरिद्वार	6518
योग	40710

(रूपये चार करोड़ सात लाख दस हजार मात्र)

महायोग	**54448**

(रूपये पांच करोड़ चवालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)

(सी.एम.एस. बिष्ट)
अपर सचिव।